उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2025

'उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः   वर्ष, 2025'

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 09 वर्ष, 2024) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 2 का खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ)"कुशल खिलाड़ी" से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;"

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम में धारा 3 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

"3. लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:–

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1.	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2.	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/ एशियन खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3.	कॉमनवैल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4.	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/ अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5.	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/ खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

6.	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/ राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/ युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ/ विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लोक सेवाओं और पदों में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी,
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

GENERAL DRAFT

The Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) (Amendment) Bill, 2025
Uttarakhand Bill No. of 2025

A
Bill

further to amend the Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024 (Uttarakhand Act No. 09 of 2024)

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the Seventy Sixth year of the India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be come into force at once.

Amendment of Section 2

2. In the Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024 (hereinafter referred to as the Principal Act), clause (d) of section 2 shall be substituted as follows, namely:-

(d) "Skilled Sportspersons" means a citizen of India who has won a medal or participated in sports at the International/National level or who has won any medal in State Games and whose domicile of origin is in Uttarakhand, but he/she has not obtained any permanent domicile certificate from anywhere else or whose domicile of origin is not in Uttarakhand but he/she has obtained a

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

permanent domicile certificate in Uttarakhand as per the G.O. No. 2588/One-4/G.A./2001 dated 20 November, 2001 or any other Government Order related to domicile, for the time being in force;

Amendment of Section 3

3. In the Principal Act, section 3 shall be Substituted as follows, namely:-

3. In the process of direct recruitment, 04 percent horizontal reservation in the vacancies in public services and posts, on which recruitment is to be done in favour of Skilled sportspersons of Uttarakhand state who have won medals/participated in sports at the International/National level or have won medals in state level games shall be allowed as follows:-

S. No.	Name of Competition	Level of Competition	Horizontal Reservation
1.	Olympic Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-10 and below
2.	World Cup/World Championship/ Asian Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-8 and below
3.	Commonwealth Games/Asian Championship	Medals Winner/ Participation	posts at level-7 and below

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

4.	Commonwealth Championship /International University Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-6 and below
5.	National Games/ National Championships organized by recognised National Sports Associations/ All India University Games/ Khelo India Youth Games	Medals Winner	posts at level-5 and below
6.	State games organised by Uttarakhand Olympic Association/ State level championships organised by state sports associations recognised by national sports federations/ State level sports Maha Kumbh organised by Youth Welfare Department/ State level school games organised by School Education Department/ State level university games organised by Higher Education Department	Medals Winner	posts at level-5 and below

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Provided that if suitable Skilled sportspersons are not available on the posts reserved for Skilled sportspersons under the state services, those posts shall not be carried forward rather, it shall be filled with qualified candidates coming in the order of proficiency of the same category.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024 provides for 04 percent horizontal reservation in the process of direct recruitment in favor of skilled sportspersons of the Uttarakhand State, who have won medals/participated in sports at international/national level. At present, to allow the benefit of 04 percent horizontal reservation in public services and posts to medal winning players, also in state level competitions, amendment in said Act is necessary.

2. The proposed Bill fulfills the above objective.

Pushkar Singh Dhami,
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

GENERAL DRAFT